

न्यायालय—द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डबरा ग्वालियर

जमानत आवेदन क्र०-549 / 2022

अनिल कुमार श्रोत्रिय पुत्र स्व. रामजीलाल,
आयु 60 साल, व्यवसाय नोटरी अधिवक्ता,
निवासी वार्ड नंबर 21 गुप्तापुरा डबरा, जिला
ग्वालियर म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र डबरा शहर
जिला ग्वालियर म.प्र.

.....अनावेदक

27.07.2022

आवेदक/आरोपी अनिल कुमार द्वारा श्री बी.डी.
शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/अभियोजन द्वारा श्री जितेन्द्र राय
शर्मा ए.पी.पी. उपस्थित।

फरियादी/आपत्तिकर्ता रविन्द्र सिंह की ओर से
श्री सुरेश अग्रवाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

श्री शर्मा अधिवक्ता ने सूची अनुसार दस्तावेज पेश
किये। जिनकी प्रति श्री शर्मा ए.पी.पी. को प्रदान की गई।

आरक्षी केन्द्र डबरा जिला ग्वालियर म.प्र. से
अपराध क्रमांक 102 / 2020 अन्तर्गत भा.दं.सं. की धारा
420, 467, 468, 471, 120—बी, 34 की केस डायरी मय
प्रतिवेदन के प्राप्त।

आवेदक/आरोपी की ओर से श्री बी.डी. शर्मा
अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आवेदक का प्रथम आवेदन
दं.प्र.सं. की धारा 438 के अन्तर्गत है। इसके अलावा
आवेदक ने किसी अन्य समकक्ष न्यायालय या माननीय
उच्च न्यायालय में कोई आवेदन न तो पेश किया है और
न ही लंबित या निरस्त किया गया है। उक्त तथ्य के
समर्थन में संजय कुमार श्रोत्रिय पिता स्व. रामजीलाल
श्रोत्रिय का शपथ पत्र पेश किया है। उक्त आशय की टीप
प्रवर्तन लिपिक ने जमानत आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर पीछे
की ओर अंकित की।

उभय पक्ष के दं.प्र.सं. की धारा 438 के आवेदन पर
तर्क श्रवण किये गये।

श्री शर्मा अधिवक्ता का आवेदन के समर्थन में तर्क
है कि पुलिस डबरा ने फरियादी की मिथ्या शिकायत पर
से उक्त अपराध पंजीबद्ध कर लिया है जिसमें आवेदक
को पुलिस गिरफ्तार करने पर आमदा है। आवेदक निर्दोष
है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक 60 साल
का वृद्ध व्यक्ति होकर नोटरी अधिवक्ता है वह ईमानदारी
से अपना काम करता है उसके द्वारा जो भी व्यक्ति

लिखापढ़ी रजिस्टर्ड कराने आता है वह उसका आधार कार्ड फोटो देखने के बाद दो गवाहन से प्रमाणित कराने के बाद सत्यापित करता है। आवेदक के द्वारा रामबली चंदेल द्वारा अपनी एक वसीयत जो टाईपशुदा आवेदक के पास लेकर आये थे जिस पर आवेदक ने उनका फोटो चर्स्पा किया उनका आधार कार्ड देखने के बाद दो साक्षी मालती शर्मा एवं संजीव राजपूत की पहचान करने पर आवेदक द्वारा वसीयत को रजिस्टर्ड किया गया था। प्रकरण के सह आरोपीगण को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय डबरा द्वारा आदेश दिनांक 17.02.2020 को 50-50 हजार रुपये की अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया है। आवेदक का अपराध सह आरोपीगण से अधिक गंभीर नहीं है। फरियादी तथा सह आरोपी के मध्य सगे भाईयों का रिश्ता है उनके मध्य जमीन संबंधी विवाद है दोनों भाई अपने पक्ष में वसीयत निष्पादित होना बताते हैं जिसके संबंध में एक व्यवहार वाद डबरा न्यायालय में धर्मन्द विरुद्ध उर्मिला लंबित है। सिविल वाद को आपराधिक प्रकरण बनाया गया है। अनुसंधान वर्ष 2020 से लंबित है। पुलिस द्वारा आवेदक से कोई पूछताछ तथा जांच पड़ताल नहीं की गई है। आवेदक वृद्ध व्यक्ति होकर स्थाई निवासी है उसके भागने एवं फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक को यदि गिरफ्तार किया गया तो उसे मानसिक एवं शारीरिक कष्ट होगा एवं समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जावेगी। आवेदक अग्रिम जमानत की सभी शर्तों का पालन करने के लिये तत्पर है। जिससे उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

जवाब में श्री जितेन्द्र राय शर्मा ए.पी.पी. एवं श्री सुरेश अग्रवाल अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन पर दौर आपत्ति होना व्यक्त किया।

उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रविन्द्र सिंह चंदेल ने आरक्षी केन्द्र डबरा में इस आशय का शिकायत आवेदन पेश किया कि उसके पिता रामबली सिंह चंदेल पुत्र मानसिंह चंदेल निवासी उषा कालोनी डबरा के द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 10.05.2018 को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति के संबंध में रुबरू गवाहन वसीयतनामा संपादित कर उप पंजीयक कार्यालय डबरा में पंजीयत कराया था, रामबली सिंह का स्वर्गवास दिनांक 05.09.2018 को डबरा में हो गया है, रामबली सिंह शासकीय माध्यमिक विद्यालय कमांक 03 डबरा में हैड मास्टर के पद

पर पदस्थ होकर रिटायर हुये थे, रामबली सिंह के स्वर्गवास के बाद धर्मन्द्र सिंह चंदेल एवं उनके पुत्र आकाश सिंह, दीपक सिंह द्वारा श्रीमती मालती शर्मा पत्नी बसंत शर्मा निवासी नंबर 23 लक्ष्मी कॉलोनी डबरा एवं संजीव राजपूत पुत्र शिवमोहन सिंह निवासी गली नंबर 06 शिव कॉलोनी डबरा जिला ग्वालियर से मिलकर एक फर्जी वसीयतनामा तैयार कर उस पर रामबली सिंह के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दिनांक 12.06.2018 में वसीयतनामा तैयार कर नोटरी अनिल कुमार श्रोतिय के यहां पंजीयत करा लिया तथा उनकी सम्पत्ति षण्यांत्र पूर्वक हड्डपने के उददेश्य से नगर पालिका डबरा में उषा कॉलोनी स्थित भवन का नामांतरण कराने हेतु उसकी पत्नी एवं बहन के द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत कर अपने नामांतरण की मांग की है जब उक्त वसीयत के संबंध में उसको पता लगा तो उसके द्वारा उक्त वसीयत के हस्ताक्षरों के संबंध में श्री संजय यादव हस्तलेख विशेषज्ञ ग्वालियर से जांच कराई तो धर्मन्द्र सिंह चंदेल द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा पर रामबली सिंह जी के फर्जी हस्ताक्षर होना पाये गये ।

उक्त शिकायत आवेदन पर घटना की असल कायमी आरक्षी केंद्र डबरा के अपराध क्रमांक 102 / 2020 अन्तर्गत भा.द.सं. की धारा 420 / 34 के आरोप में दर्ज की गयी । प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर वसीयतनामा जप्त कर वसीयत की कूटरचना की जाना हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट से पाये जाने से भा.द.सं. की धारा 467, 468, 471, 120-बी का ईजाफा किया गया है ।

न्याय दृष्टांत प्रवीण दुबे विरुद्ध रविशंकर 2014 (5) एम.पी.एच.टी. 259 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि द.प्र.स. की धारा 438 में अग्रिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग अपवाद स्वरूप प्रकरणों में करना चाहिये । इस प्रावधान के अन्तर्गत दिये गये विवेकाधिकार को सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से बरतना चाहिये जो कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग न्यायसंगत परिस्थितियों पर निर्भर होता है । ऐसी शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा तभी किया जाना चाहिये जब न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति का अजमानतीय अपराध करने के आरोप उसे असत्य रूप से संलिप्त करने के लिये लगाये गये हैं या आधारहीन प्रकरण उसके विरुद्ध पंजीबद्ध करवाया गया हो या आरोपी के फरार होने की संभावना नहीं हो तथा उसके द्वारा जमानत का दुरुपयोग किये जाने की

संभावना नहीं हो।

साथ ही न्याय दृष्टांत डी.के. गणेशबाबू विरुद्ध पी.टी. मनोकरन ए.आई.आर. 2007 उच्चतम न्यायालय 1450 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत की शक्तियां एक्सटरा ऑर्डनरी पावर है, जिसका उपयोग बहुत कम करना चाहिये। प्रस्तावित गिरफतारी की वैधानिकता नहीं देखी जा सकती। गिरफतारी को रोकने के लिये अंतरिम आदेश नहीं किया जाना चाहिये।

प्रकरण में आरोपी पर सह आरोपीण के साथ मिलकर आपराधिक षण्यांत्र रचकर कूटरचित वसीयत की नोटरी करने का आरोप है। प्रकरण में भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी के आरोप में अनुसंधान अपूर्ण है। आरोपी के विरुद्ध निराधार कार्यवाही की जाना प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक समानता के सिद्धांत के आधार पर आवेदक को जमानत का लाभ दिये जाने का प्रश्न है तो पूर्व में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डबरा द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक 123/2020 में दिनांक 17.02.2020 को आदेश पारित कर सह आरोपी मालती, धर्मन्द एवं संजीव को भा.दं.सं. की धारा 420 के आरोप में अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया किन्तु उस समय भा.दं.सं. की धारा 467, 468, 471, 120-बी का ईजाफा नहीं हुआ था। जिससे प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों में आपराध की गंभीरता एवं आरोपी के कृत्य से समाज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुये समानता के सिद्धांत के आधार पर आवेदक/आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने से आवेदक/आरोपी अनिल कुमार श्रोतिय की ओर से पेश जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत दं.प्र.सं. की धारा 438 को अस्वीकार किया जाता है।

आदेश की प्रति मय केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र को सूचनार्थ भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर, समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(नीरज मालवीय)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.